

फॉर्म डीए 1

बैंक जमाराशियों के संदर्भ में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 ज़ेडए और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन

मैं/हम

नाम	पता /पते

निम्न व्यक्ति को नामित कर रहे हैं जिसे/जिन्हें मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु पर आईडीबीआई बैंक लि. ----- शाखा द्वारा निम्न खाते (खातों) , जिनके ब्योरे नीचे दिए गए हैं, की जमाराशि लौटा दी जाए.

खाते के ब्योरे

खाते का स्वरूप	खाता संख्या	अतिरिक्त ब्योरे, यदि कोई हों

नामिती

नाम	:	
पता	:	
जमाकर्ता के साथ संबंध (यदि हो)	:	
आयु	:	
यदि नामिती अवयस्क है तो उसकी जन्मतिथि	:	

* चूंकि नामिती इस तारीख को अवयस्क है मैं/हम मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने की स्थिति में निम्न को

नाम : ----- आयु : -----

पता : -----

नामिती के वयस्क होने तक नामिती की ओर से जमा की राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करते हैं.

** जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

साक्षी : ***

नाम	नाम
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

पता	पता
स्थान	स्थान
तारीख	तारीख

* यदि नामिती अवयस्क हो तो इसे काट दें.** जहां जमाराशि अवयस्क के नाम पर रखी गयी हो वहां नामांकन पर अवयस्क की ओर से कानूनी रूप से कार्य करने के लिए हकदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएं.*** अंगूठे के निशान(निशानों) पर, को दो साक्षियों द्वारा अधिप्रमाणित करवाया जाए.

प्राप्ति सूचना

हम फॉर्म डीए 1 में निम्न के संबंध में आपका नामांकन प्राप्त होने की सूचना देते हैं :

खाते का स्वरूप	खाता संख्या	अतिरिक्त ब्यौरे, यदि कोई हों

हमारे पास ----- के नाम पर रखा गया. कृपया इस संबंध में भविष्य में अपने सभी पत्राचार में ----- नामांकन संख्या का उल्लेख करें.

आईडीबीआई बैंक लि. के लिए

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता